358

संख्या–843/XXVII(1)/2015

प्रेषक,

**एल.एन. पन्त,**
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–**मुख्य नगर अधिकारी**
नगर निगम, देहरादून।
2–मुख्य नगर अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी,
नगर निगम–हरिद्वार, हल्द्वानी, रूद्रपुर, रूड़की, काशीपुर,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 21 जुलाई, 2015

विषयः– **तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार समस्त नगर निगमों को वित्तीय वर्ष 2015–16 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त का तदर्थ आधार पर अंतरण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार 06 नगर निगमों को संलग्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु तदर्थ आधार पर देय धनराशि में से कॉलम–5 में इंगित धनराशि की कटौती पेंशन निधि हेतु करते हुये कॉलम–6 में निकाय के सम्मुख इंगित कुल धनराशि **₹248488000.00 (₹ चौबीस करोड़ चौरासी लाख अट्ठासी हजार मात्र)** अंतरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अंतरित की जा रही हैः–

1. शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2015–16 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त तदर्थ आधार पर संकमित की जा रही है।
2. अंतरित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–388/XXVII/(1)/2012, दिनांक 23 जुलाई, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
3. जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आंकड़ों की प्रमाणिकता की पुष्टि होने पर तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित फार्मूलें के आधार पर निकायों के अंश की पुनः गणना की जायेगी।
4. तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त जिन निकायों का उच्चीकरण हुआ है, उनके सम्बन्ध में आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित अंश के आधार पर ही धनराशि संकमित की जायेगी।
5. तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, प्रस्तर–8.20 पर सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में समस्त निकायों की संकलित सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ही निकायों को बढ़ी हुई धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
6. नगर विकास विभाग अंतरित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि की बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

7. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

8. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

9. सम्बन्धित निकाय की अलोटमेन्ट आईडी संलग्न है।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015—16 के आय—व्ययक की **अनुदान संख्या—07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन—आयोजनेत्तर—01—नगरीय स्थानीय निकाय—191—नगर निगम—03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन—00—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।**

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव,वित्त।

संख्या— 843 (1)/XXVII(1)/ 2015, तद्दिनांक। 21/7/15

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/ कुमायूं मण्डल।
3— प्रमुख सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4— जिलाधिकारी, ज़नपद— देहरादून/हरिद्वार/ नैनीताल/ ऊधमसिंह नगर
5— निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6— निदेशक, शहरी विकास विभाग, 43/6, माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून।
7— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8— निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23—लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10— एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव,वित्त।

शासनादेश संख्याः 843/XXVII(1)/ 2015
:: देहरादूनः दिनांकः 21 जुलाई, 2015

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में नगर निगमों को तदर्थ आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु अंतरण

(धनराशि ₹ हजार में)

| क0 सं0 | जनपद | शहरी स्थानीय निकाय का नाम | तदर्थ आधार पर द्वितीय त्रैमास हेतु देय अंतरण | पेंशन निधि हेतु तदर्थ आधार पर कटौती का अंश (1%) | तदर्थ आधार पर द्वितीय त्रैमास हेतु धनराशि का अंतरण | अलोटमेन्ट आई. डी. नं0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| नगर निगम | | | | | | |
| 1– | देहरादून | देहरादून | 88317 | 883 | 87434 | H1507071113 |
| | | **योग** | **88317** | **883** | **87434** | |
| 2– | हरिद्वार | हरिद्वार | 42184 | 422 | 41762 | H1507071114 |
| 3– | | रूड़की | 33180 | 332 | 32848 | |
| | | **योग** | **75364** | **754** | **74610** | |
| 4– | नैनीताल | हल्द्वानी | 28247 | 282 | 27965 | H1507071115 |
| | | **योग** | **28247** | **282** | **27965** | |
| 5– | ऊधमसिंह नगर | काशीपुर | 28803 | 288 | 28515 | H1507071117 |
| 6– | | रूद्रपुर | 30267 | 303 | 29964 | |
| | | **योग** | **59070** | **591** | **58479** | |
| **महायोग** | | | **250998** | **2510** | **248488** | |

(रू0 चौबीस करोड़ चौरासी लाख अट्ठासी हजार मात्र)

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव, वित्त।